>

Title: Need to solve the problem of displacement of families of farmers belonging to SC/ST/OBC categories from their agricultural land in Jabalpur Cantonment area of Madhya Pradesh.

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मध्यप्रदेश राज्य की जबलपुर छावनी में करीब 500 परिवारों की कृषि भूमि, जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के किसानों की है। जबलपुर छावनी द्वारा रक्षा भूमि के नाम पर आवश्यकता बताकर किसानों को भरी बरसात में भूमि से बेदखल किया जा रहा है। छावनी के किसान विगत् 200 वर्षों से लगातार अपने पूर्वजों के जमाने से कृषि कार्य कर अपनी जीविका का उपार्जन करते चले आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के कारण, कृषकों की भूमि बिना किसी मुआवजे का भुगतान किए, कैंट प्रशासन द्वारा अधिगृहित कर ली गयी एवं किसानों को कृषि भूमि के पट्टे दे दिये गये, जिस पर प्रारंभ से ही कृषक अपनी भूमि का क्रय-विक्रय कर सकते थे।

सन् 1930 में सम्पदा अधिकारी जबलपुर की स्थापना हुई, जिससे सन् 1924 का कैंट एक्ट प्रभावशाली हुआ। सैक्शन 280, कैंटोनमैंट बोर्ड एक्ट 1924 की कैंटोनमैंट अथारिटी के अनुसार यह व्यवस्था दी गयी कि यदि कोई कृषि भूमि अधिगृहित की जाती है, तो भूमि, मकान, कुंआ एवं फसल आदि का उचित मुआवजा दिया जायेगा।

दिनांक 19.02.1991 को रक्षा मंत्रालय के पत्र के जवाब में जबलपुर सैन्य सम्पदा अधिकारी ने सैन्य भूमि का जो विवरण प्रेषित किया है, उसमें 1752 एकड़ भूमि मुख्य प्रयोजन हेतु अतिरिक्त बतायी गयी है, जिससे सुरक्षा भूमि के नाम पर कृषकों की उपजाऊ भूमि लिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 9.11.1989 के एक निर्णय के अनुसार कृषकों को उनकी भूमि से बेदखल न किये जाने संबंधी पत्र रक्षा सम्पदा अधिकारी जबलपुर को लिखित में निर्देश दिये गये हैं। जबलपुर छावनी क्षेत्र में किसानों की जमीन मिलिट्री के चारों तरफ सिविल क्षेत्र की आबादी से लगी हुई है। छावनी क्षेत्र के समस्त किसानों की लगभग 160 एकड़ जमीन है तथा मध्य प्रदेश शासन के सुरक्षा विभाग के पास 323.49 एकड़ भूमि किराये पर है। यदि 323.49 एकड़ भूमि से राज्य शासन द्वारा 160 एकड़ जमीन मिलिट्री को स्थानान्तरित कर दी जाती है, तो छावनी क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि का स्थायी समाधान हमेशा के लिए हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि गरीब, दलितों को बरसात के मौसम में बेदखल न कर उनका मेरे द्वारा वर्णित उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान करवाने की कृपा करें।

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till

Fourteen of the Clock.